जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द

क्रमांक/सामान्य/2026–27/02 दिनांक :– 25.06.2026

सेवानिवृत कार्मिक हेतु विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द में संविदा पर वाहन चालक पद पर सेवानिवृत्त कार्मिक की सेवाएं निम्नानुसार ली जानी हैं:–

क्र. सं.	प्राधिकरण का नाम	वाहन चालक के पद की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द	1

राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ. 17 (10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 व 14.11.2018 एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश कमांक 453 दिनांक 24.06.2026 के अनुक्रम में संविदा पर वाहन चालक की तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उक्त पद पर सेवानिवृत्त कार्मिक की सेवाएं ली जानी है।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा।

सेवानिवृत्त कार्मिक की संविदा सेवाएं दिनांक 01.07.2026 से 31.03.2027 तक की अवधि के लिये संविदा पर सेवाएं देने के इच्छुक कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज के आवेदन कर सकेगें। उक्त संवर्गो की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमन्द के अनुसार ली जायेगी।

उपरोक्त वर्णित वाहन चालक के पद पर उक्त शर्तो के अध्यधीन सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी दिनांक 30.06.2026 को 1.00 पीएम तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक जिला न्यायालय, राजसमन्द की वेबसाईट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती हैं कि आवश्यक निर्देशों बाबत् जिला न्यायालय, राजसमन्द की वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
राजसमन्द।

क्रमांक/सामान्य/2025–26/3861–3871 दिनांक :–25.06.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द।
3. जिला कलेक्टर, राजसमन्द को समस्त अधीनस्थ विभागों/ PSUs में सूचित करने बाबत्।
4. तालुका विधिक सेवा समिति, नाथद्वारा/भीम/देवगढ/आमेट/कुंभलगढ/रेलमगरा।
5. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द को जिला न्यायालय, राजसमन्द की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
राजसमन्द।

कार्यालयः– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द (राज.)

(सेवानिवृत्त कार्मिक संविदा पर लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. कर्मचारी का नाम :–
2. पिता/पति का नाम :–
3. जन्म तिथिः–
4. पता मय मोबाईल नम्बर :–

5. आयु (दिनांक 31.03.2027) :– वर्ष माह दिन
6. अर्हताएं :–
7. मूल विभाग का नाम :–

8. धारित पद :–

9. अनुभव :–
10. मूल वेतन
 (रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे)
 पे–स्लीप/एलपीसी संलग्न करें।
11. धारित पद का वेतनमान
12. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)
13. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा हैं.....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

वितरित प्रतिनियुक्ति के लिए कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में राज्य सरकार में संविदात्मक विपरित प्रतिनियुक्ति की सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :–

स्थान :– हस्ताक्षर